पत्रावली पेश हुई / वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस हेतु वकील वादी ने अवकाश चाहा। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 2-4-19 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(मु०) सीकर

पत्रावली पेश हुई / वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रकरण में अन्तिम बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 10-4-19 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(मु०) सीकर

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई / वकील उभय पक्ष उपस्थित। वाद वादी खारिज किया गया। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(मु०) सीकर

निर्णय आज दिनांक 10-4-2019 को खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(मु०) सीकर

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार, आर0ए0एस0
पत्रावली संख्या 27 / 2018 / दावा

छीतरमल पुत्र श्री स्व0 बल्लूराम जाति जाट निवासी गोवटी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज0)

– वादी,

बनाम

1 जिला कलक्टर महोदय,सीकर।
2 तहसीलदार पलसाना, जिला सीकर।

– प्रतिवादीगण,

उपस्थित :–

1. श्री सागरमल ढाका,वकील वादी की ओर से।

दावा बाबत रेवेन्यू रिकार्ड दुरूस्ती जमाबंदी एंव स्थायी निषेधाज्ञा उद्घोषणा प्रसारणार्थ ।

:: निर्णय ::

दिनांक :– 10.4.19

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम गोवटी की तन में भूमि ख0नं0 27 / 2 रकबा 8 बीघा वर्तमान ख0नं0 27 रकबा 1. 76 है0 है जबकि वादी 2.00 है0 पर काबिज काश्तकार है तथा उक्त कृषि भूमि पर लगातार काश्त करता चला आ रहा है। भूमि पुराने ख0नं0 27 / 2 रकबा 8 बीघा पक्की पहले राज्य सरकार के नाम से अंकित थी,जिसे वादी के दादा चन्द्राराम पुत्र श्री गोपीराम ने सब डिविजन आफिस सीकर के आदेश सं0 4532 दिनांक 01.11.1972 द्वारा आंवटन करा कर गैर खातेदारी में ना0सं0 124 दिनांक 26.12.72 को वादी के दादा के नाम स्वीकार किया गया तथा वादी के दादा ने अढाई गुणा लगान जमा करवाने पर ना0सं0 231 दिनांक 29.10.77 के द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी स्वीकार किया गया। तब से आज तक वादी एंव वादी के पूर्वज उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। वादी दिनांक 25.04.2011 को ह0प0 के पास किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए गया तो मालुम हुआ कि वर्तमान ख0नं0 27 का इन्द्राज जमाबंदी वादी एंव वादी के पूर्वजों के नाम नहीं है और उक्त भूमि राज्य सरकार सिवाय चक नाम काबिज काश्त के नाम से दर्ज है,जबकि वादी के पूर्वज 1972 से ही काबिज काश्त करते चले आ रहे है।उक्त भूमि राज्य सरकार के नाम कब और कैसे हो गई इस बाबत वादी को कोई ज्ञान नहीं है। वादी ने वाद पत्र पेश कर पैरा सं0 1 में दर्ज कृषि भूमि को राज्य सरकार सवाई चक नाकाबिज काश्त से दुरूस्त कर काश्तकार का नाम वादी का दर्ज भूमि का प्रकार बारानी घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु निवेदन किया है।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीण को जरिये समन तलब किया गया। प्रति0सं0 1 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 2 ने जवाब दावा पेश कर विशेष कथन में अंकित किया कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में नदियां तथा

...क कलक्टर
(...) सीकर
दिनांक 11.4.19
हस्ताक्षर प्राप्त
नोट :– यहां दर्ज किया जावें कि दरख्वास्त देहन्दा मुकदमा हाजा मे क्या हैसियत रखता है अगर वह फरीक मुकदमा न हो तो ऐसा दर्ज किया जाय।
1 आवेदक का पूरा पता

नाले (चारागाह हेतु) भूमि दर्ज है। राज0काश्त0अधिनियम,1955 की धारा 16 के तहत नदियां तथानाले की भूमि का किसी को नियमन अथवा अलॉट नहीं किया जा सकता है। वादी ने उक्त विवादित भूमि पर अतिक्रमण करने व भूमि को हड़पने की नीयत से गलत दावा पेश किया है। वादी ने राजस्व रिकार्ड के विपरित दावा पेश किया है जो कि वादी की सरकारी भूमि पर कब्जा करने की कुचेष्टा को दर्शाता है। अतः सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं मिले,इसके लिए वादी का दावा मय विशेष हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाना राज्य हित में परम आवश्यक है।

न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 1.7.2016 को वाद वादी प्रमाणित नहीं होने से खारिज करते हुए निर्णय पारित किया गया। वादी द्वारा निर्णय दिनांक 1.7.16 के विरूद्ध माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी,सीकर के यहां अपील की जिसपर माननीय न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण में दिनांक 22.6.2018 को निर्णय पारित करते हुए प्रकरण रिमाण्ड किया गया कि वह ना0सं0 124 व 231 से खातेदारी दर्ज होने के बाद यह आराजी राजकीय कैसे दर्ज हुई तथा आराजी की किस्म बारानी द्वितीय से नदिया नाले व टीबा कैसे हुआ इन तथ्यों पर पुनः साक्ष्य सबूत लेकर अपना निर्णय पुनः पारित करें।

प्रकरण में पुनः माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के निर्देशानुसार तहसीलदार,दांतारामगढ से रिपोर्ट चाही जाने पर तहसीलदार,दांतारामगढ़ ने पत्रांक 3288/भू0अ0/दिनांक 31.12.2018 के द्वारा रिपोर्ट भिजवाई है कि :–

1. जागीर रिग्जूम ग्राम गोवटी का आराजी ख0नं0 27 रकबा 23.03 बीघा किस्म बारानी द्वितीय सिवायचक बिना लगानी भूमि दर्ज रही है,जो जमाबंदी संवत् 2020–23,2024–27 एंव 2028–31 से सुस्पष्ट है।

2. जरिये नामा0सं0 124/26.12.72 के द्वारा उक्त ख0नं0 27 रकबा 23.03 बीघा में से 8.00 बीघा भूमि चन्द्राराम पुत्र गोपीराम जाट को आंवटन हुई,जो नामा0सं0 124 से सुस्पष्ट है।

3. जरिये नामा0सं0 231 दिनांक 29.10.77 के तहत चन्द्रा पुत्र गोपी जाति जाट को आंवटित भूमि 8.00 बीघा पर खातेदारी दी गई जो नामान्तकरण संख्या 231 से सुस्पष्ट है।

4. श्री चन्द्राराम पुत्र गोपीराम जाट द्वारा प्रश्नगत भूमि का राज्य सरकार के पक्ष में सरैण्डर (समर्पण) करने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 55 दिनांक 5.12.78 के द्वारा नामा0सं0 250/5.12.78 कैम्प गोवटी में स्वीकृत हुआ जो आदेश एंव नामान्तरकरण सं0 250 से सुस्पष्ट है।

5. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,सीकर कैम्प डुकिया में मौके की स्थिति के अनुसार आदेश क्रमांक 68–69 दिनांक 3.1.79 प्रश्नगत भूमि की किस्म बारानी द्वितीय से गै0मु0टीबा दर्ज कर दी गई। जिसका नामान्तरकरण सं0 254 दिनांक 3.1.79 स्वीकृत हुआ। इस प्रकार उक्त भूमि बारानी द्वितीय से गै0मु0 टीबा दर्ज की गई।

6. दिनांक 3.1.79 के पश्चात् जमाबंदी संवत् 2036 से 38 से आज दिनांक तक उक्त भूमि सिवायचक गै0मु0टीबा दर्ज चली आ रही है,जो जमाबंदियों की प्रतियों से सुस्पष्ट है।

7. वर्तमान बंदोबस्त में उक्त भूमि के साबिक ख0नं0 27/2 से 27 दर्ज किये गये तथा रकबा 8.00 बीघा के स्थान पर 1.76 है0 दर्ज किया गयां ख0नं0 27/2 में से ही ख0नं0 25रकबा 0.25 है0 दर्ज हुआ। कुल 2.01 है0 अंकित हुआ।

8. बतौर भूमिधारी के उक्त प्रकरण में निवेदन है कि साबिक ख0नंबर 27/2 रकबा 8.00 बीघा दिनांक 5.12.78 को राज्य सरकार के समर्पित करने के उपरान्त 40 वर्ष पश्चात् यदि वादी उक्त भूमि पर खातेदारी घोषणा प्राप्त करना चाहता है तो वह न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। यदि वादी प्रश्नगत भूमि पर काबिज है या मंशा रखता है तो

नोट :– यहां दर्ज किया जावे कि दरख्वास्त दहन्दा [illegible] ता है अगर वह फरीक मुकदमा न हो तो ऐसा दर्ज किया जाय।

वह 91 एलआर एक्ट के तहत अतिक्रमी है,जिसके विरूद्ध 91 एल आर एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। वादी उक्त प्रश्नगत भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने में सफल होता है तो राज्य सरकार के हितों पर विपरित प्रभाव पड़ेगा।

हमने अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एंव तहसीलदार,दांतारामगढ़ की रिपोर्ट एंव बहस के दौरान वकील वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 14.7.2015 पेज नं0 408 का बगौर अवलोकन किया। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,सीकर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ना0सं0 124 व 231 से खातेदारी दर्ज होने के बाद यह आराजी राजकीय कैसे दर्ज हुई तथा आराजी की किस्म बारानी द्वितीय से नदिया नाले व टीबा कैसे हुआ इन तथ्यों पर पुनः तहसीलदार,दांतारामगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त की। रिपोर्ट तहसीलदार,दांतारामगढ़ से स्पष्ट है कि श्री चन्द्राराम पुत्र गोपीराम जाट द्वारा प्रश्नगत भूमि का राज्य सरकार के पक्ष में सरैण्डर (समर्पण) करने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 55 दिनांक 5.12.78 के द्वारा नामा0सं0 250/5.12.78 कैम्प गोवटी में स्वीकृत हुआ जो आदेश एंव नामान्तरकरण सं0 250 से स्पष्ट है। उपखण्ड अधिकारी महोदय,सीकर कैम्प डुकिया में मौके की स्थिति के अनुसार आदेश क्रमांक 68–69 दिनांक 3.1.79 प्रश्नगत भूमि की किस्म बारानी द्वितीय से गै0मु0टीबा दर्ज कर दी गई। जिसका नामान्तरकरण सं0 254 दिनांक 3.1.79 स्वीकृत हुआ। इस प्रकार उक्त भूमि बारानी द्वितीय से गै0मु0 टीबा दर्ज की गई। दिनांक 3.1.79 के पश्चात् जमाबंदी संवत् 2036 से 38 से आज दिनांक तक उक्त भूमि सिवायचक गै0मु0टीबा दर्ज चली आ रही है,जो जमाबंदियों की प्रतियों से सुस्पष्ट है। वर्तमान बंदोबस्त में उक्त भूमि के साबिक ख0नं0 27/2 से 27 दर्ज किये गये तथा रकबा 8.00 बीघा के स्थान पर 1.76 है0 दर्ज किया गयां ख0नं0 27/2 में से ही ख0नं0 25रकबा 0. 25 है0 दर्ज हुआ। कुल 2.01 है0 अंकित हुआ। साबिक ख0नंबर 27/2 रकबा 8.00 बीघा दिनांक 5.12.78 को राज्य सरकार के समर्पित करने के उपरान्त 40 वर्ष पश्चात् यदि वादी उक्त भूमि पर खातेदारी घोषणा प्राप्त करना चाहता है तो वह न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। यदि वादी प्रश्नगत भूमि पर काबिज है या मंशा रखता है तो वह 91 एलआर एक्ट के तहत अतिक्रमी है,जिसके विरूद्ध 91 एल आर एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। वादी उक्त प्रश्नगत भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने में सफल होता है तो राज्य सरकार के हितों पर विपरित प्रभाव पड़ेगा। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार वादी के द्वारा चाही गई रिलिफ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार,दांतारामगढ़ को आदेश दिये जो है कि वादी प्रश्नगत भूमि पर काबिज है या मंशा रखता है तो वह 91 एलआर एक्ट के तहत अतिक्रमी है,जिसके विरूद्ध 91 एल आर एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाये। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर(म0)सीकर

सहायक कलक्टर
(म.) सीकर

निर्णय आज दिनांक 10.04.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर(म0)सीकर

सहायक कलक्टर
(म.) सीकर